

कार्यवाही विवरण

मेसर्स गोयंका कास्ट इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम—सांकरा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.) में Expansion by the installation of 3x2 MVA SAF in the existing shed of Unit I and 3x4 MVA SAF in Unit II for the production of FeMn 49000 TPA or SiMn 34000 TPA or Pig Iron 49000 TPA or Calcium Carbide 34000 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स गोयंका कास्ट इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम—सांकरा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.) में Expansion by the installation of 3x2 MVA SAF in the existing shed of Unit I and 3x4 MVA SAF in Unit II for the production of FeMn 49000 TPA or SiMn 34000 TPA or Pig Iron 49000 TPA or Calcium Carbide 34000 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 11/07/2024 एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 11/07/2024 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2024, समय दोपहर - 12:00 बजे, स्थान—खेल मैदान, ग्राम—सांकरा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग, जिला—दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग, जिला—दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग, जिला—दुर्ग, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत—सांकरा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला—दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 10.08.2024 को दोपहर 12.40 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान-खेल मैदान, ग्राम-सांकरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मोहन रहंगडाले, नागपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका-टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री सोहन साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ हमारा एरिया इण्डस्ट्रीयल एरिया है। उद्योग पाल्यूशन फ्री लगे इसमें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन जो उद्योग लगा है उससे धुआं घरों में आ रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। इस उद्योग में पूरा पाल्यूशन है। उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस लगेगा तो जानमाल का खतरा हो सकता है। मैं दूसरी यूनिट के लिये अनुमति नहीं देना चाहता हूं।

2. श्री कोमल प्रसाद पटेल, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ इस प्लांट से सभी को कष्ट हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फल फूल डस्ट के कारण खराब हो रही है। ऐसा प्लांट गांव में नहीं चाहिए।

3. श्री राजकुमार, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ ये धूल गर्दा वाली कंपनी हमारे गांव में नहीं चाहिए।

4. श्री राधे विश्वास, दुर्ग, जिला-दुर्ग।

➤ हमारे उद्योग द्वारा पाल्यूशन रोकने के लिये बहुत प्रयास किये जा रहे हैं जल छिड़काव किया जा रहा है।

5. श्री रूपेश साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ प्लांट में होने वाले पाल्यूशन को रोका जाये। प्लांट में रोजगार मिले। अपाहिज बच्चे जो गांव में हैं उन्हें पेंशन के रूप में कुछ राशि देने की कृपा करें।

6. **श्री संजय श्रीवास्तव, ग्राम-कुम्हारी, जिला-दुर्ग।**
➤ मैं उद्योग में काम कर रहा हूं। उचित मात्रा में पूरी व्यवस्था यहां की गई है। यहां पर बेरोजगारी बहुत है। उद्योग द्वारा यहां के लोगों को रोजगार दिया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। मुझे उद्योग से कोई आपत्ति नहीं है।
7. **श्री उमेन्द्र कुमार साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ हमारे गांव में पाल्यूशन नहीं है ऐसा श्रीवास्तव जी द्वारा बताया गया है, ये बात गलत है, गांव के तालाब में व घरों के छत में काला परत जम गया है। इसे जाकर देख सकते हैं।
8. **श्री चेतन कुमार पटेल, ग्राम-मुड़ीपार, जिला-दुर्ग।**
➤ उद्योग द्वारा गांव में होने वाले डस्ट उचित रख रखाव के लिये उचित व्यवस्था की गई है। उद्योग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। प्लांट लगाने का हम सहमत हैं।
9. **श्री सुभाष साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ उद्योग के चिमनी से धुंआ निकलता है। प्रदूषण का लेवल चेक किया गया है उस टेस्ट के बारे में हमारे आम जनता को बताया जाये। मिट्टी का पीएच लेवल का भी चेक होना चाहिए जिससे फसल को नुकसान न हो। मैं कंपनी न खुले ऐसा चाहता हूं।
10. **श्री परसराम यादव, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ अभी तालाब का पानी को मुंह में नहीं डाल पाओगे क्योंकि पानी प्रदूषित है।
11. **श्री जगमोहन वर्मा, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ मैं कंपनी में 3 साल से कार्य कर रहा हूं। प्लांट चलेगा तो हल्का सा डस्ट आयेगा जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा जो आगे चलकर बच्चों के काम आयेगा।
12. **श्री अशोक केंवट, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ मैं कंपनी में 2 साल से कार्य कर रहा हूं। रोजगार की यहां सुविधा बढ़ती जा रही है कोई नया प्लांट इसमें लगाया जायेगा। उसी खनिज में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जायेगा।
13. **श्री दयाराम साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। प्रदूषण को रोककर रखे। हमारा प्लांट भी चले और हमारा काम भी चले।
14. **श्री खोरबहरा, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।**
➤ फसल नुकसान हो रहा है, इसे रोका जाये। हमें कंपनी से परेशानी है। हमें किसानों से ही भरोसा है।

15. श्री वासुदेव लोहार, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।
➤ मैं पिछले 9 साल से कंपनी में काम करता हूं। अभी 99 प्रतिशत वायु प्रदूषण नियंत्रण में है। यहां पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।
16. श्री मनहर राम प्रटेल, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।
➤ मैं पिछले 2 साल से कंपनी में काम करता हूं। डस्ट को कम करें।
17. श्री धनेश वर्मा, ग्राम-खैरागढ़ जिला-खैरागढ़।
➤ मैं कंपनी में काम करता हूं। कंपनी में डस्ट पर नियंत्रण रखा जा रहा है। वृक्षारोपण किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। यहां पर बाहर के लोगों को कम मात्रा में काम दिया गया है। गांव में उत्थान व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
18. श्री प्रलय कुमार स्वाईन, उड़ीसा।
➤ मैं उद्योग में काम करता हूं। उड़ीसा का रहने वाला हूं। पाल्यूशन अभी 95 प्रतिशत कम हो गया है। प्लांट ऐसा ही चलता रहे। जिससे हमें आगे रोजगार मिलेगा।
19. पुनः उद्बोधन श्री उमेन्द्र कुमार साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।
➤ बाहर से आने वाले को रोजगार मिल रहा है। उद्योग में पूर्ण रूप से प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रण में रखे। कपड़ा छत पर सुखाया जाता है जो वह काला हो जाने के कारण पहनने लायक नहीं रहता है।
20. श्री राम नारायण, दुर्ग, जिला-दुर्ग।
➤ हम लोग उद्योग में काम करते हैं। डस्ट के नियंत्रण का सतत् उपाय किया जा रहा है।
21. श्री धनीराम साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।
➤ कंपनी में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जिसे बन्द करना चाहिए। गांव के लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जाये।
22. श्री फोकूराम साहू, उप सरपंच, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।
➤ वास्तविक में यहां प्रदूषण था। ग्राम पंचायत से नोटिस दिये जाने से सुधार किया गया। आज भी कुछ मात्रा में प्रदूषण है। उद्योग द्वारा लगभग 75 प्रतिशत प्रदूषण कम किया गया है। वर्तमान में चलने वाले प्लांट में ही परिवर्तन करना बताया गया है। उद्योग प्रतिनिधि से चर्चा हुआ है कि गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिले और प्रदूषण नियंत्रण में रहे।
23. श्री सुधीर शर्मा, रायपुर।
➤ आज की लोक सुनवाई का मैं समर्थन करता हूं। इसमें कई लोगों की रोजगार की समस्या समाप्त होगी। इससे सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है।

24. श्री राजवर्धन सिंह, रायपुर।

➤ मैं कंपनी लगभग 3 वर्षों से काम कर रहा हूं। जिसमें हमारे परिवार के लोगों को पालन पोषण हो रहा है मैं चाहता हूं कि प्लांट और आगे चले।

25. श्री कमलेश यादव, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ हमारे गांव के लोग 20 किलोमीटर दूरी पर रोजगार के लिये जाते थे। यहां पर प्रदूषण है। तालाब का पानी एवं घरों में सुखाया गया कपड़ा काला हो जाता है। आने वाले समय में गांव पूरा बर्बाद हो जायेगा। भविष्य को देखिये वर्तमान को मत देखिये।

26. श्री अविनाश साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ यह कंपनी पहले डीजल से चलता था, अब यह कोयला से चलता है, बताया गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में धुंआ निकलता है। कोयला से निकलने वाले डस्ट से कैंसर होता है जिससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसी कंपनी में रोजगार पहले भी था। कंपनी के प्रदूषण से समीप के कृषि भूमि प्रभावित होगा। ग्राम पंचायत से जो एनओसी दिया गया है उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने का उल्लेख है। गांव के पंच व सरपंच पाल्यूशन के विरोध में बोल रहे हैं। उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी ही अपना रोजगार बचाने के लिये कंपनी का समर्थन कर रहे हैं। दिन में कंपनी से 3 से 4 बार चिमनी से धुंआ निकलता है। प्रदूषण को शून्य स्थिति बनाये रखे। उद्योग में ईंधन के रूप में होने वाले कोयला के स्थान पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाये जाये, जिससे प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में रहे।

27. श्रीमती शिवकुमारी, वार्ड पंच-14, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण के लिये जो चर्चा हो रही है उसके लिये हम सहमत हैं।

28. श्रीमती लिलेश्वरी पटेल, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ मैं कंपनी में 2 साल से काम करती हूं। सबका पेट रोजी इसमें चल रहा है। कंपनी बन्द नहीं होना चाहिए।

29. श्री टीकेश कुमार साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ मैं कंपनी में काम करता हूं। हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। अन्य के परिवार में एक ही सदस्य है। अतः हमें उद्योग में काम करना पड़ता है। कंपनी प्रदूषण को रोके और कंपनी चलाये। सबको काम दे।

30. श्रीमती लोकेश्वरी साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ कंपनी से निकलने वाला काला धुंआ को पूरा बन्द किया जाये। ये सबके लिये खतरनाक है।

31. श्री मुकेश सैनी, सतना।

➤ मैं कंपनी में काम करता हूं। कंपनी में कम प्रदूषण होता है। उद्योग में काम करने वाले कोई आपत्ति नहीं है। बाहर वालों को ही आपत्ति है। स्थिति सामान्य है।

32. श्री लेखराम साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ मैं प्रदूषण से परेशान हूँ। अपने खेत में चना नहीं बो पा रहा हूँ। दूसरे को रेगहा देता हूँ। प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तालाब का पानी व छत काला हो रहा है। हमारे गांव की समस्या के बारे में मुख्य व्यक्ति सरपंच है उन्हें प्रदूषण के नियंत्रण के लिये बोलना चाहिए।

33. श्री भरतलाल साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ हमें कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है प्रदूषण का। आप शाम को आकर देख सकते हैं।

34. श्री डीकेश कुमार साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ जब पहले बार कंपनी खुला तो गांव वाले खुश थे। मगर आज की स्थिति अलग हो गई है जैसे कपड़ा सुखाते हैं तो वह काला पड़ जाता है। कंपनी के समीप प्लाट में जाकर देखे तो काला धुंआ दिखेगा। कंपनी का प्रदूषण पूर्णतः बन्द हो। कंपनी बन्द न होना चाहिए प्रदूषण बन्द होना चाहिए। सड़क में कीचड़ बहुत है। जिसे दूर किया जाये। सांकरा, मुरमुन्दा, लिमतरा में कंपनी खुले जहां पर प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में रहे। कंपनी लगने के बाद बड़े गाड़ी चलने से गांव के सड़क खराब हो गया है।

35. श्री त्रिलोकी नाथ सेन, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ कंपनी चिमनी लगाया है तो चिमनी से धुंआ निकलना चाहिए। चिमनी के पहले से निकलता है। आज यहां पर अधिकारी आये हैं तो आज कंपनी बन्द है तो कैसे पता चलेगा की धुंआ निकल रहा है। तालाब का पानी दूषित हो रहा है। इसलिये उद्योग बन्द होना चाहिए। कंपनी को चलाया जाये बन्द मत करे। प्रदूषण को नियंत्रण करके चलाये ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे।

36. श्री वासुदेव शर्मा, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ मैं यहां का कृषक हूँ। मंच के पीछे सड़क है। सड़क से उत्तर की ओर इण्डस्ट्रीयल एरिया है। समीप कृषि भूमि है। मास्टर प्लान के अनुसार इनके फैक्ट्री खोलने का परमिशन क्यों नहीं दिया गया। फैक्ट्री खुल गया है तो यहां के लोगों को रोजगार मिला है। सड़क चलने लायक नहीं है। नाले में कचड़ा जमा रहता है जिससे सड़क में पानी आता है। सफाई करने के लिये सरकार पैसा देती है। फिर भी सफाई नहीं होता है। गांव में 100 मीटर में झाड़ू लगाने से आता है। मेरा निवेदन है यहां पर फैक्ट्री न लगे।

37. चंचल साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ जब सुबह हम मार्निंग वर्क पर निकलने हैं तो कंपनी के लगने से हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाता है। अतः कंपनी से प्रदूषण न हो तभी ये कंपनी को चलाया जाये।

38. पम्मी पटेल, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

➤ मुझे आज यहां जन सुनवाई में आने के बाद आज मुझे मास्क दिया गया। गोयनका कंपनी के प्रदूषण वाला भाग को बन्द किया जाये। प्रदूषण से शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो रहा है। कंपनी वाला ईलाज करायेगा क्या।

39. श्री ऋषि कुमार पटेल, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- इस जनसुनवाई की आज जरूरत क्यों पड़ा। फैक्ट्री खुल 13 से 14 साल हो गया। कोई समस्या नहीं हुई थी। केवल 25 प्रतिशत ही प्रदूषण नियंत्रण हुआ है। हमारा गांव कृषि पर आधारित है। फैक्ट्री लगने से कृषि भूमि प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्री बन्द न करे प्रदूषण को कम से कम करें। क्योंकि इसमें सबका रोजगार चल रहा है।

40. श्री ढाल सिंह साहू, पंच, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- हमारे गांव में आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित एडीएम साहब, पर्यावरण विभाग के अधिकारी व समस्त कर्मचारी एवं उद्योग प्रतिनिधि गोयनका जी को धन्यवाद। पूर्व में मेरे द्वारा गोयनका उद्योग के लिये एनओसी दिया गया था। उसे समय गांव में कोई प्रदूषण नहीं हुआ। अभी इनके द्वारा और उद्योग का विस्तार किया जा रहा है। कंपनी बन्द होने से हमारा रोजगार छिन जायेगा। हमें इसी गांव में रहकर जीना व मरना है। समय पर कंपनी द्वारा पूरा पेमेन्ट दिया जाता है। गांव से बाहर के भी कुछ कर्मचारी यहां पर काम करते हैं। कुछ लोग यहां पर भीड़ बढ़ाकर बैठे हैं मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं। हमारे गांव की समस्या को हम ही समझते हैं दूसरे लोग नहीं समझते हैं। गांव के लोगों को कंपनी में गोयनका कंपनी वाले काम दे, अपना कंपनी बन्द न करें। यह प्रदूषण अंशतः पाईजन है जो हम सबको होने वाली है। कंपनी द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। प्रदूषण कंपनी में कम से कम किया जाये इसके लिये पूरा गांव वाले आपके साथ हैं। एडीएम साहब से निवेदन है कि उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाये। कंपनी वाले शिविर लगाकर वृक्षारोपण करवाते हैं। प्रदूषण बिलकुल कम हो चुका है ऐसा कुछ लोग बोले हैं ये गलत बात है। मैं भी पंच हूं उद्योग को पूर्व में एनओसी जारी किया हूं। मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि उद्योग 95 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण रखता तो क्या ग्राम पंचायत द्वारा उद्योग को नोटिस जारी किया गया है ? वही बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उद्योग में हमारे गांव के मजदूर काम कर रहे हैं। उद्योग के खिलाफ कोई बात नहीं रख रहे हैं। अभी प्लांट को और विस्तार नहीं करना है। हम कंपनी के समर्थन में है।

41. श्रीमती जानकी साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- मैं आप सबको नमस्कार करती हूं। आज इस जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा पूरी जानकारी विस्तार से दी जाये। प्रदूषण का ही मुख्य बात है इसे नियंत्रण किया जाये। मैं गांव की जनता के तरफ से हूं। गांव के जनता के द्वारा जो बात रखी जा रही है उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मैं गांव की मुखिया होने के नाते गांव के विकास के लिये ज्ञापन सौंप रही हूं। गांव के सड़क का मरम्मत किया जाये। गांव में पानी टंकी, आहता निर्माण करवाया जाये। मुख्य मार्ग से गांव तक सीसी रोड का निर्माण किया जाये।

42. श्री राजू लाल साहू, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- मैं प्लांट में ढाई वर्ष से कार्यरत हूं। पाल्यूशन कंपनी में लगभग कम हुआ है पूरी तरह से नहीं हुआ है। मैं कंपनी में जनरल फीटर के रूप में काम करता हूं। हम लोग थर्ड फ्लोर में काम करते हैं जहां पर गेसिंग फीट करने में एक से दो घण्टे लग जाता है वहां पर हमारा सांस फूल जाता है। प्रदूषण से हमें समस्या होती है।

यूनिट-1 एवं यूनिट-2 दोनों अब अलग अलग हो गया है, जिसके कारण हमें ओव्हर टाईम नहीं दिया जा रहा है। गांव में कंपनी की वजह से प्रदूषण आज की स्थिति में है। फेरो बन्द होना चाहिए सिलिका वाला प्लांट लगना चाहिए।

43. श्री प्रहलाल पटेल, पंच, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- हमारे द्वारा पंचायत से किसी उद्योग को नोटिस दिया गया है। जिस पर उतना प्रभाव उद्योग के ऊपर नहीं पड़ता है। क्या ग्राम पंचायत को उतना अधिकार नहीं दिया गया है। जिससे उद्योग के ऊपर प्रभाव पड़े व उद्योग नियंत्रण में रहे। सड़क के सामने ट्रक आदि खड़ा करने से स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी होती है। उद्योग वाले दायित्वों का निवर्हन करें। सुविधाओं का विस्तार हो।

44. श्री नरोत्तम सिंह लोथी, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- गांव में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। कंपनी में जब प्रोडक्शन चालू होता है तो चिमनी से धुंआ न आकर नीचे से प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। उद्योग द्वारा इसका विस्तार न किया जाये। समीप कंपनी के बस्ती लगा है जो काफी प्रभावित हो रहा है।

45. श्री विसेसर जोगी, ग्राम-सांकरा, जिला-दुर्ग।

- बात यहां से चालू होती है, हमने ही कंपनी को चालू करवाया है ताकि गांव के ही लोगों को रोजगार मिल सके। कितने संख्या व किस किस पद पर कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराई जाये। यहां पर अन्य कंपनी की बात क्यों नहीं हो रही है। कंपनी में प्रदूषण है इस कारण गोयनका कंपनी की बात आ रही है। इसके प्रदूषण से तालाब गन्दा हो रहा है, सांस की समस्या हो रही है, रात में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। गांव के सारे लोगों का कहना है कि कंपनी बन्द मत हो वहां पर लोगों को रोजगार मिले। ईएसआईसी की सुविधा कर्मचारियों को मिले। गांव के लोग भोले भाले होते हैं। वे लोग माईक में बोलने के लिये सक्षम नहीं होते हैं। आप इस जन सुनवाई में गांव के 2000 लोगों को बचाने आये हैं न की कंपनी को बन्द कराने आये और ना ही चालू कराने आये हैं। गांव में सभी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण में रहे। तभी यह प्लांट चलाया जाये। कंपनी से उत्पन्न धुंआ पूर्ण रूप से चिमनी से नहीं निकलता है आसपास के निकलता है जिससे गांव वालों को परेशानी है। कृपया इस समस्या का निदान करायें।

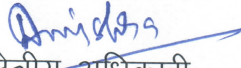
उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री विकास गोयनका, डायरेक्टर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :-

- ❖ कंपनी द्वारा गांव के पूरी समस्या का निराकरण में कंपनी सहयोग करेगी।
- ❖ आहता का निर्माण कराया जायेगा।
- ❖ वृक्षारोपण कराया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 02 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 44 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा पुनः उद्बोधन) के द्वारा कुल 45 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 100 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 03.05 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।


क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,भिलाई


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-दुर्ग